

Qualifications & Disqualifications for contesting elections to Parliament and State Legislature (except J & K), and documents and other requirements at the time of filing of nomination papers

1) Minimum age for contesting election to-

Lok Sabha (House of the People) -	25 years
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) -	25 years
Rajya Sabha (Council of States) -	30 years
Vidhan Parishad (Legislative Council)-	30 years

**2) Qualifications & disqualification for contesting aforesaid elections are given in Articles 84, 102, 173 & 191 of the Constitution and Sections 3 to 10A of the RP Act, 1951.
Extract from relevant provisions**

Article 84- Qualification for membership of Parliament.-

A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he-

(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorized in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;

(b) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

Article 102- Disqualifications for membership.-

(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament-

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(c) if he is an undischarged insolvent;

(d) if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;

(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

Explanation- For the purpose of this clause a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

(2) A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament if he is so disqualified under the Tenth Schedule.

Article 173- Qualification for membership of the State Legislature.

A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he-

(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;

(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

Article 191-Disqualification for membership.-

(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State-

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(c) if he is an undischarged insolvent;

(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;

(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

Explanation- For the purpose of this clause a person shall not be deemed to hold an office of profit under Government of Indian or the Government of any State specified in the first Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union of for such State.

(2)A person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State is he is so disqualified under tenth Schedule.

Sections 3 to 10A of the Representation of the People Act, 1951

3. Qualification for membership of the Council of States.

A person shall not be qualified to be chosen as a representative of any State or Union territory in the Council of States unless he is an elector for a Parliamentary constituency in India.

4. Qualifications for membership of the House of the People.

A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of the People, unless—

- (a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes in any State, he is a member of any of the Scheduled Castes, whether of that State or of any other State, and is an elector for any Parliamentary constituency;*
- (b) in the case of a seat reserved for the Scheduled Tribes in any State (other than those in the autonomous districts of Assam), he is a member of any of the Scheduled Tribes, whether of that State or of any other State (excluding the tribal areas of Assam), and is an elector for any Parliamentary constituency;*
- (c) in the case of a seat reserved for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, he is a member of any of those Scheduled Tribes and is an elector for the Parliamentary constituency in which such seat is reserved or for any other Parliamentary constituency comprising any such autonomous district;*
- (cc) in the case of the seat reserved for the Scheduled Tribes in the Union territory of Lakshadweep, he is a member of any of those Scheduled Tribes and is an elector for the Parliamentary constituency of that Union territory;*
- (ccc) in the case of the seat allotted to the State of Sikkim, he is an elector for the Parliamentary constituency for Sikkim;*
- (d) in the case of any other seat, he is an elector for any Parliamentary constituency.*

5. Qualifications for membership of a Legislative Assembly.

A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of a State unless—

- (a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes of that State, he is a member of any of those castes or of those tribes, as the case may be, and is an elector for any Assembly constituency in that State;*
- (b) in the case of a seat reserved for an autonomous district of Assam, he is a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district and is an elector for the Assembly constituency in which such seat or any other seat is reserved for that district; and*
- (c) in the case of any other seat, he is an elector for any Assembly constituency in that State:*

Provided that for the period referred to in clause (2) of article 371A, a person shall not be qualified to be chosen to fill any seat allocated to the Tuensang district in the Legislative Assembly of Nagaland unless he is a member of the regional council referred to in that article.

5A. Qualifications for membership of Legislative Assembly of Sikkim.

* * * * *

(2) Notwithstanding anything contained in section 5, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1980, unless—

- (a) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin, he is a person either of Bhutia or Lepcha origin and is an elector for any assembly constituency in the State other than the constituency reserved for the Sanghas;*
- (b) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes, he is a member of any of those castes in the State of Sikkim and is an elector for any assembly constituency in the State;*
- (c) in the case of a seat reserved for Sanghas, he is an elector of the Sangha constituency; and*
- (d) in the case of any other seat, he is an elector for any assembly constituency in the State.*

Explanation--- In this section "Bhutia" includes Chumbpia, Dophapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa and Yolmo.

6. Qualification for membership of a Legislative Council.

(1) A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by election unless he is an elector for any Assembly constituency in that State.

(2) A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by nomination by the Governor unless he is ordinarily resident in the State.

Disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures

7. Definition.—In this Chapter,—

- (a) "appropriate Government" means in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of either House of Parliament, the Central Government, and in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State, the State Government;*
- (b) "disqualified" means disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State.*

8. Disqualification on conviction for certain offences.

(1) A person convicted of an offence punishable under—

- (a) section 153A (offence of promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony) or section 171E (offence of bribery) or section 171F (offence of undue influence or personation at an election) or sub-section (1) or sub-section (2) of section 376 or section 376A or section 376B or section 376C or section 376D (offences relating to rape) or section 498A (offence of cruelty towards a woman by husband or relative of a husband) or sub-section (2) or sub-section (3) of section 505 (offence of making statement creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes or offence relating to such statement in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies) of the Indian Penal Code; or*
- (b) the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) which provides for punishment for the preaching and practice of "untouchability", and for the enforcement of any disability arising there from; or*
- (c) section 11 (offence of importing or exporting prohibited goods) of the Customs Act, 1962; or*
- (d) sections 10 to 12 (offence of being a member of an association declared unlawful, offence relating to dealing with funds of an unlawful association or offence relating to contravention of an order made in respect of a notified place) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967); or*
- (e) the Foreign Exchange (Regulation) Act, 1973 (46 of 1973); or*
- (f) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985); or*
- (g) section 3 (offence of committing terrorist acts) or section 4 (offence of committing disruptive activities) of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987; or*
- (h) section 7 (offence of contravention of the provisions of sections 3 to 6) of the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988); or*
- (i) section 125 (offence of promoting enmity between classes in connection with the election) or section 135 (offence of removal of ballot papers from polling stations) or section 135A (offence of booth capturing) of clause (a) of sub-section (2) of section 136 (offence of fraudulently defacing or fraudulently destroying any nomination paper) of this Act; or*
- (j) section 6 (offence of conversion of a place of worship) of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991; or*

(k) section 2 (offence of insulting the Indian National Flag or the Constitution of India) or section 3 (offence of preventing singing of National Anthem) of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 ; or

(l) the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988); or

(m) the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988); or

(n) the Prevention of Terrorism Act, 2002 (15 of 2002),

shall be disqualified, where the convicted person is sentenced to-

(i) only fine, for a period of six years from the date of such conviction;

(ii) imprisonment, from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.

(2) A person convicted for the contravention of—

(a) any law providing for the prevention of hoarding or profiteering; or

(b) any law relating to the adulteration of food or drugs; or

(c) any provisions of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961);

and sentenced to imprisonment for not less than six months, shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release

(3) A person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years other than any offence referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.

Explanation- In this section-

(a) "law providing for the prevention of hoarding or profiteering" means any law, or any order, rule or notification having the force of law, providing for—

(i) the regulation of production or manufacture of any essential commodity;

(ii) the control of price at which any essential commodity may be bought or sold;

(iii) the regulation of acquisition, possession, storage, transport, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;

- (iv) *the prohibition of the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;*
- (b) *"drug" has the meaning assigned to it in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940);*
- (c) *"essential commodity" has the meaning assigned to it in the Essential Commodity Act, 1955 (10 of 1955);*
- (d) *"food" has the meaning assigned to it in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954).*

8A. Disqualification on ground of corrupt practices.

(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be within a period of three months from the date such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period.

(3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under subsection (2), the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion.

9. Disqualification for dismissal for corruption or disloyalty.

(1) A person who having held an office under the Government of India or under the Government of any State has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be disqualified for a period of five years from the date of such dismissal.

(2) For the purposes of sub-section (1), a certificate issued by the Election Commission to the effect that a person having held office under the Government of India or under the Government of a State, has or has not been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be conclusive proof of the fact:

Provided that no certificate to the effect that a person has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be issued unless an opportunity of being heard has been given to the said person.

9A. Disqualification for Government contracts, etc

A person shall be disqualified if, and for so long as, there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government.

Explanation.--- For the purposes of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entered into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the Government has not performed its part of the contract either wholly or in part.

10. Disqualification for office under Government company.

A person shall be disqualified if, and for so long as, he is a managing agent, manager or secretary of any company or corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the appropriate Government has not less than twenty-five per cent share.

10A. Disqualification for failure to lodge account of election expenses

If the Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*

- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.*

3) Forms of Nomination Papers

- (a) Nomination Paper in [Form 2A](#) appended to Conduct of Elections Rules, 1961 for contesting election to the Lok Sabha (House of the People).
- (b) Nomination Paper in [Form 2B](#) appended to Conduct of Elections Rules, 1961 for contesting election to the Vidhan Sabha (Legislative Assembly).
- (c) Nomination Paper in [Form 2C](#) appended to Conduct of Elections Rules, 1961 for contesting election to the Rajya Sabha (Council of States).
- (d) Nomination Paper in [Form 2D](#) appended to Conduct of Elections Rules, 1961 for contesting election to the Vidhan Parishad (Legislative Council) by the Members of the Legislative Assembly.
- (e) Nomination Paper in [Form 2E](#) appended to Conduct of Elections Rules, 1961 for contesting election to the Vidhan Parishad (Legislative Council) from a Council constituency.(Graduates'/Teachers'/Local Authorities' constituency).

- (f) Nomination Paper in [Form 2F](#) appended to Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979 for contesting election to the Vidhan Sabha (Legislative Assembly) of Sikkim from a Constituency for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin.
- (g) Nomination Paper in [Form 2G](#) appended to Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979 for contesting election to the Vidhan Sabha (Legislative Assembly) of Sikkim from a general Constituency or a constituency Reserved for Scheduled Caste.
- (h) Nomination Paper in [Form 2H](#) appended to Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules, 1979 for contesting election to the Vidhan Sabha (Legislative Assembly) of Sikkim from Sangha Constituency.

4) **Affidavit**

Affidavit in [Form 26](#) appended to the Conduct of Elections Rules, 1961 furnishing particulars relating to criminal antecedents, if any, (cases of convictions and all pending cases), details of PAN and status of filing of Income tax return of self, spouse and dependents, details of the assets (movable and immovable etc.) & liabilities/dues of candidate, spouse and all dependents to government and public financial institutions, details of profession or occupation of candidate and spouse, and highest educational qualification of the candidate.

In the affidavits filed by candidates along with their nomination paper, the candidates are required to fill up all columns therein and no column can be left blank. Therefore, at the time of filing of affidavit, the Returning Officer has to check whether all columns of the affidavit filed with the nomination paper are filled up. If not, the Returning Officer shall give a reminder to the candidate to furnish information against blank columns. If there is no information to be furnished against any item, appropriate remarks such as 'NIL' or 'Not Applicable' or 'Not Known' as may be applicable shall be indicated in such column. The candidate should not leave any column blank. If a candidate fails to fill the blanks even after reminder, the nomination paper will be liable to be rejected by the Returning Officer at the time of scrutiny of nomination papers.

The Affidavit should be sworn by the candidate before an Oath Commissioner or Magistrate of first class or before a Notary Public.

The Affidavit has to be filed along with the Nomination Paper. If not filed with the Nomination Paper, then must be submitted to the Returning Officer before 3 PM on the last date for filing nominations. The affidavit should be type written. If any column is filled in hand, it should be legibly written.

5) Registration in the Electoral Roll

The person must be enrolled in the current electoral roll of any of the Parliamentary Constituencies for contesting elections from a Parliamentary Constituency. However, in the case of election from Parliamentary Constituencies of Autonomous District in Assam, Sikkim and Lakshadweep the candidate should be an elector in the respective areas as provided in Section 4 of the Representation of the People Act, 1951.

For contesting elections to State Legislature, the person must be enrolled in the current electoral roll of any of the assembly constituencies of the State.

In case the candidate is registered as an elector in the electoral roll of a constituency different from the constituency from which he/she stands as a candidate then a copy of electoral roll of that constituency, or part thereof or certified copy of the relevant entries in the electoral roll where the name of the candidate is entered in the current electoral roll must be attached with the Nomination paper or filed before the Returning Officer latest by the time of scrutiny of nominations.

6) Oath/Affirmation

The candidate has to make an oath in the prescribed format as given in the 3rd Schedule of the Constitution, before the Returning Officer/Assistant Returning Officer or any other person authorised by the Election Commission. The oath has to be made and submitted at any time after filing of nomination paper and latest by the day previous of the date fixed for scrutiny of nomination.

7) Candidates Sponsored by Political Party

In case a candidate claims to be sponsored by any political party (whether recognised or not) then the prescribed notice from Political Party concerned about his sponsorship in [Form A](#) and [Form B](#), duly completed in all respects, in case of elections from Parliamentary or Assembly Constituency has to be submitted to the Returning Officer/Chief Electoral Officer latest by 3 PM on the last date for filing of nominations.

In case of elections to Rajya Sabha (Council of States) and elections to Vidhan Parishad (Legislative Council) by MLAs, Graduates'/Teachers'/Local Authorities' Constituencies such sponsorship in [Form AA](#) & [Form BB](#) Should be filed, also by 3 PM on the last date for filing nomination.

8) Number of Proposers

<p>Lok Sabha (House of the People)</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>Vidhan Sabha (Legislative Assembly)</p>	<p>One elector of the constituency as proposer, if the candidate has been set up either by a recognised National party or by a recognised State party in the State or States in which it is recognised as a State party</p> <p>Ten (10) electors of the constituency as proposers, if the candidate has been set up by a registered un-recognised political party or if he is an independent candidate</p> <p>In the case of a candidates of a State party recognised in one State, contesting election in another State in which the Party is not so recognised, the nomination of such candidate(s) set up by that party in such other State will also be required to be subscribed by ten (10) electors of the constituency as proposers.</p>
<p>Rajya Sabha (Council of States)</p>	<p>10% of the elected members of the Legislative Assembly or 10% of the members of the electoral college or 10 members concerned, whichever is less in the case of a candidate set up by a recognised National or State Party of the State concerned. In the case of the other candidates the number of proposers required is ten.</p>
<p>Vidhan Parishad (Legislative Council)</p>	<p>10% of the members of the Legislative Assembly or 10 members concerned, whichever is less.</p>

9) Security Deposit

	General	Schedule Caste/Schedule Tribe
Lok Sabha (House of the People)	Rs. 25,000/-	Rs.12,500/-
Rajya Sabha (Council of States)	Rs. 10,000/-	Rs. 5,000/-
Vidhan Sabha (Legislative Assembly)	Rs. 10,000/-	Rs. 5,000/-
Vidhan Parishad (Legislative Council)	Rs. 10,000/-	Rs. 5,000/-

The security deposit can be deposited either in cash with the Returning Officer or by filing a challan in the Reserve Bank of India or a Government Treasury.

The deposit should be made under the following Head of Account for Election to Parliament: - 8443-CIVIL DEPOSITS-121-DEPOSITS IN CONNETION WITH ELECTIONS-2-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT;

The deposit for Election to State/Union Territory Legislatures: - 8443-CIVIL DEPOSITS-121-DEPOSITS IN CONNECTION WITH ELECTIONS-1-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR STATE/UNION TERRITORIES LEGISLATURES.

10) Scheduled Caste/Scheduled Tribe

Candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes may be required to submit documentary proof of being a SC/ST to the satisfaction of the Returning Officer.

11) In addition to the above requirements, the Returning Officer may seek any document for his satisfaction with regard to qualifications and disqualifications of the candidate, wherever necessary.

Under Section 36 of the Representation of the People Act, 1951, the Returning Officer is the competent authority to scrutinize and decide the validity or otherwise of the nomination papers filed by the candidates.

संसद और राज्य विधान मण्डल (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) के निर्वाचन लड़ने के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं एवं निरर्हताएं, और नाम निर्देशन पत्र भरते समय दस्तावेज और अन्य आवश्यकताएं

(1) निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु-

लोक सभा (हाउस ऑफ द पीपुल)-	25 वर्ष
विधान सभा (लेजिसलेटिव एसेम्बली)-	25 वर्ष
राज्य सभा (काउन्सिल ऑफ स्टेट्स)-	30 वर्ष
विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउन्सिल)-	30 वर्ष

(2) उक्त निर्वाचन लड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 84, 102, 173 एवं 191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 से 10 क में दी गई अर्हताएं एवं निरर्हताएं।

संगत प्रावधानों से उद्धरण-

अनुच्छेद 84 – संसद की सदस्यता के लिए अर्हता -

कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब -

- (1) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;
- (2) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है ; और
- (3) उसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं ।

अनुच्छेद 102 – सदस्यता के लिए निरर्हताएं -

- (1) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा -
- (1) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;
- (2) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;
- (3) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

- (4) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;
- (5) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

- (2) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहित हो जाता है ।

अनुच्छेद 173 – राज्य विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता -

कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब -

- (1) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;
- (2) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है ; और
- (3) उसके पास अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

अनुच्छेद 191 – सदस्यता के लिए निरर्हताएं -

- (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और होने के लिए निरहित होगा -
 - (1) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरहित न होना राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;
 - (2) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;
 - (3) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;
 - (4) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(5) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहित हो जाता है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 से 10 क

3. राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्हता -

राज्य सभा में, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह भारत में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं -

लोक सभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि -

(1) अनुसूचित जातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में, वह उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(2) (असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों से भिन्न) अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में वह (असम के जनजाति क्षेत्रों का अपवर्जन करके) उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजातियों, में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(3) असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए जिसमें ऐसा स्थान आरक्षित है या किसी ऐसे स्वशासी जिले को समाविष्ट करने वाले अन्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;

(गग) लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(गगग) सिक्किम राज्य को आबंटन में मिले स्थान की दशा में, वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो, तथा

(4) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं -

किसी राज्य की विधान सभा में के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि -

- (1) उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह, यथास्थिति, उन जातियों में से या उन जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;
- (2) असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो और उन सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें उस जिले के लिए ऐसा स्थान या कोई अन्य स्थान आरक्षित है निर्वाचक न हो, तथा
- (3) किसी अन्य स्थान की दशा में वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो:

परन्तु अनुच्छेद 371 क के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई व्यक्ति तब तक नागालैण्ड की विधान सभा में ट्यूनसांग जिले को आबंटित किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् का सदस्य न हो।

5 क. सिक्किम की विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं -

* * * * *

(2) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पश्चात किसी भी समय गठित की जानी है, स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह -

- (क) भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, या तो भूटिया या लेप्चा उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;
- (ख) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, सिक्किम राज्य में उन जातियों में से किसी का सदस्य न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ;
- (ग) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, संघ निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक न हो ;
- (घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

स्पष्टीकरण - इस धारा में "भूटिया" के अन्तर्गत चुम्बपीया, डोप्थापा, दकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा, योल्मो भी हैं ।

6. विधान परिषद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं -

- (1) किसी राज्य की विधान परिषद् में के उस स्थान को भरने के लिए, जो निर्वाचन द्वारा भरा जाना है, चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

(2) किसी राज्य की विधान परिषद् में के उस स्थान को भरने के लिए, जो राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरा जाना है, चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह उस राज्य में मामूली तौर से निवासी न हो ।

संसद और राज्य विधान मण्डलों की सदस्यता के लिए निरर्हिताएं

7. परिभाषा - इस अध्याय में -

- (क) "समुचित सरकार" से संसद् के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हिता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हिता के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार अभिप्रेत है ;
- (ख) "निरर्हिता" से संसद् के दोनों सदनों से किसी का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित अभिप्रेत है ।

8. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हिता -

(1) निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति जहां सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति -

(i) केवल जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ;

(ii) कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा, अर्थात :-

- (1) भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क (धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध) या धारा 171 ड. (रिश्वत का अपराध) या धारा 171 च (निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376 क या धारा 376 ख या धारा 376 ग या धारा 376 घ (बलात्संग से संबंधित अपराध), या धारा 498 क (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध), या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) या (विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध) ;
- (2) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) जो "अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करता है ; या
- (3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध) ; या
- (4) विधिरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 10 से धारा 12 तक (विधिरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी विधिरुद्ध संगम की निधियों के बरतने से संबंधित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध) ; या
- (5) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1973 का 46) ; या

- (6) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) ; या
- (7) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 (आतंकवादी कार्य करने का अपराध) या धारा 4 (विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध) ; या
- (8) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) की धारा 7 (धारा 3 से धारा 6 तक के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध) ; या
- (9) इस अधिनियम की धारा 125 (निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध) या धारा 135 क (बूथों के बलात् ग्रहण का अपराध) या धारा 136 की उपधारा (2) का खंड (क) (किसी नामनिर्देशन को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध) ; या
- (10) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6 (किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध) ; या
- (11) राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध) ; या
- (12) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) ; या
- (13) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) ; या
- (14) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15)

(2) कोई व्यक्ति जो -

- (क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबंध करने वाली किसी विधि ; या
- (ख) खाद्य या औषधि के अपमिश्रण से संबंधित किसी विधि ; या
- (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के किन्हीं उपबंधों ;
के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरहित होगा और अपने छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरहित बना रहेगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरहित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरहित बना रहेगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा में -

- (1) “जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाली विधि” से कोई ऐसी विधि या विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा आदेश, नियम या अधिसूचना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है -
 - (i) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन,
 - (ii) उस कीमत का नियंत्रण जिस पर कोई आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सके,
 - (iii) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग, उपभोग का विनियमन,
 - (iv) किसी आवश्यक वस्तु के विधारण का प्रतिषेध, जो मामूली तौर पर विक्रय के लिए रखा जाता है ;
- (2) “औषधि” का वह अर्थ है जो उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में समनुदिष्ट है ;
- (3) “आवश्यक वस्तु” का वह अर्थ है जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में समनुदिष्ट है ;
- (4) “खाद्य” का वह अर्थ है जो उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में समनुदिष्ट है ।

8 क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता -

(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8 क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा ।

9. भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता -

(1) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था या नहीं, उस तथ्य का निश्चयाक सबूत होगा :

परन्तु इस भाव का कोई भी प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उक्त व्यक्ति को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।

9 क. सरकार के साथ की गई संविदाओं आदि के लिए निरर्हता -

कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रांत किन्ही संकर्मों के निष्पादन के लिए की है ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भागतः पालन नहीं किया है यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है ।

10. सरकार कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता -

कोई भी व्यक्ति निरहित होगा यदि और जब तक वह (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कम्पनी या निगम का जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है।

10 क. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता -

यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (1) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा
- (2) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा ।द 9

3) नाम-निर्देशन पत्रों के प्रपत्र

- (क) लोक सभा (हाउस आफ द पीपल) का निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न [प्रपत्र 2 क](#) में नाम-निर्देशन पत्र ।
- (ख) विधान सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) का निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न [प्रपत्र 2 ख](#) में नाम-निर्देशन पत्र ।
- (ग) राज्य सभा (काउन्सिल आफ स्टेट्स) का निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न [प्रपत्र 2 ग](#) में नाम-निर्देशन पत्र ।
- (घ) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् (लेजिस्लेटिव काउन्सिल) का निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न [प्रपत्र 2 घ](#) में नाम-निर्देशन पत्र ।
- (ङ.) विधान परिषद् (लेजिस्लेटिव काउन्सिल) निर्वाचन-क्षेत्र (स्नातक/शिक्षक/स्थानीय निकाय निर्वाचन-क्षेत्र) से विधान परिषद् का निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न [प्रपत्र 2 ङ.](#) में नाम-निर्देशन पत्र।
- (च) भूटिया/लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम विधान सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) का निर्वाचन लड़ने के लिए विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 से संलग्न [प्रपत्र 2 च](#) में नाम-निर्देशन पत्र।
- (छ) साधारण निर्वाचन-क्षेत्र या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम विधान सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) का निर्वाचन लड़ने के लिए विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 से संलग्न [प्रपत्र 2 छ](#) में नाम-निर्देशन पत्र।
- (ज) संघा निर्वाचन-क्षेत्र से सिक्किम विधान सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) का निर्वाचन लड़ने के लिए विधान सभा निर्वाचनों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1979 से संलग्न [प्रपत्र 2 ज](#) में नाम-निर्देशन पत्र।

4) शपथ-पत्र

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न [प्रपत्र 26](#) में शपथ-पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्व-वृत्त, यदि कोई हों, (दोष-सिद्धि के मामले और सभी लंबित मामले), से संबंधित विवरण, पैना

के विवरण और स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रितों की आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति, अभ्यर्थी, पति/पत्नी एवं सभी आश्रितों की परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल आदि) तथा सरकार एवं सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के प्रति उनकी देयताएं/ देय राशियों के विवरण, अभ्यर्थी एवं पति/पत्नी के व्यवसाय या आजीविका के विवरण, तथा अभ्यर्थी की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के विवरण उपलब्ध कराए जाएं।

अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्रों में अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसके सभी स्तंभों को भरें और कोई भी स्तंभ रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर को इस बात की जांच करनी है कि क्या नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र के सभी स्तंभ भर दिए गए हैं। यदि नहीं, तो रिटर्निंग आफीसर रिक्त स्तंभों के प्रति सूचना उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थी को अनुस्मारक-पत्र देंगे। यदि किसी मद के प्रति कोई भी सूचना न उपलब्ध कराई जानी हो तो उक्त स्तंभ में उपयुक्त टिप्पणियां जैसे 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं', जो भी लागू हो, दर्शाई जाएंगी। अभ्यर्थी को कोई भी स्तंभ रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अनुस्मारक-पत्र देने के बावजूद रिक्तियों को भरने में विफल रहता है तो **नाम-निर्देशन पत्र** रिटर्निंग आफीसर द्वारा नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय अस्वीकृत किए जाने का भागी होगा।

अभ्यर्थी द्वारा शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ-पत्र पर शपथ लेनी चाहिए।

शपथ-पत्र नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किया जाना है। यदि नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल न किया जाए तो नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे से पहले रिटर्निंग आफीसर को अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए। शपथ पत्र टंकित होना चाहिए। यदि कोई कॉलम हस्तलिखित होता है, तब यह सुपाठ्य होना चाहिए।

5) निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण

व्यक्ति को किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने के लिए किसी भी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। हालांकि, असम, सिक्किम और लक्षद्वीप के स्वायत्त जिले के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने की दशा में अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्रों का निर्वाचक होना चाहिए जैसाकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 में प्रावधान है।

राज्य विधान-मंडल से निर्वाचन लड़ने के लिए व्यक्ति को राज्य के किसी भी विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।

यदि अभ्यर्थी उस निर्वाचन-क्षेत्र से पृथक् किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक निर्वाचक के तौर पर पंजीकृत है जहां से वह एक अभ्यर्थी के तौर पर खड़े/ खड़ी होते/होती हैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की एक प्रति, या उसका खण्ड या उस निर्वाचक नामावली की संगत प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति नाम-निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए या नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय तक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष दाखिल की जानी चाहिए जहां की वर्तमान निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी का नाम प्रविष्ट है।

6) शपथ/ प्रतिज्ञान

अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफीसर/ सहायक रिटर्निंग आफीसर या निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में यथा-विहित प्रारूप में शपथ लेनी है।

शपथ नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद किसी भी समय और अधिक से अधिक नाम-निर्देशन पत्र की संवीक्षा के लिए नियत तिथि के एक दिन पहले ली जाना और प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

7) राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी

यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं को किसी राजनैतिक दल (चाहे वह मान्यताप्राप्त है या नहीं) द्वारा प्रायोजित होने का दावा करता है तो नाम-निर्देशन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख को अपराह्न 3:00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचनों के मामले में, संबंधित राजनैतिक दल से पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म क तथा फार्म ख में, उसे प्रायोजित करने संबंधी निर्धारित नोटिस जमा कराना होता है । विधायकों/ स्नातकों/ शिक्षकों/ स्थानीय निकायों के निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा राज्य सभा (काउंसिल आफ स्टेट्स) तथा विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) के निर्वाचनों के मामले में प्रायोजित करने हेतु फार्म कक तथा फार्म खख, भी नाम-निर्देशन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख को अपराह्न 3:00 बजे तक भरा जाना चाहिए ।

8) प्रस्तावकों की संख्या

लोक सभा (हाउस आफ द पीपल) तथा विधान सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली)	यदि अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या राज्य में मान्यता प्राप्त राज्यीय अथवा राज्यों जिनमें इसे राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त है, के द्वारा खड़ा किया गया है, तो निर्वाचन-क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में यदि अभ्यर्थी को पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है अथवा वह निर्दलीय अभ्यर्थी है तो निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में राज्यीय दल के ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में जिस दल को एक राज्य में मान्यताप्राप्त है परंतु अभ्यर्थी निर्वाचन ऐसे राज्य में लड़ रहा है जिसमें उस पार्टी द्वारा अन्य राज्य में खड़े किए गए ऐसे अभ्यर्थी(र्थियों) का नाम-निर्देशन निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में मंजूर किया जाना अपेक्षित है ।
राज्य सभा (काउंसिल आफ स्टेट्स)	संबंधित राज्य के मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के मामले में, विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का 10 प्रतिशत या निर्वाचक मंडल के सदस्यों का 10 प्रतिशत अथवा 10 संबंधित सदस्य, इनमें से जो भी कम हो । अन्य अभ्यर्थियों के मामले में अपेक्षित प्रस्तावकों की संख्या 10 है ।
विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल)	विधान परिषद के सदस्यों का 10 प्रतिशत या संबंधित 10 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो ।

9) प्रतिभूति जमा/जमानत राशि

	सामान्य	अनुसूचित जाति/ जनजाति
लोक सभा (हाउस आफ पीपल)	रु. 25,000/-	रु. 12,500/-

राज्य सभा (काउंसिल आफ स्टेट्स)	रु. 10,000/-	रु. 5,000/-
विधान सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली)	रु. 10,000/-	रु. 5,000/-
विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल)	रु. 10,000/-	रु. 5,000/-

प्रतिभूति जमा रिटर्निंग आफिसर के पास नकद रूप में या रिजर्व बैंक अथवा सरकारी राजकोष में चालान दाखिल करके जमा कराया जा सकता है।

संसदीय निर्वाचन के संबंध में प्रतिभूति 8443-CIVIL DEPOSITS-121-DEPOSITS IN CONNECTION WITH ELECTIONS-2-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT खाता शीर्ष के अधीन जमा कराई जानी चाहिए; तथा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 8443-CIVIL DEPOSITS-121-DEPOSITS IN CONNECTION WITH ELECTIONS-1-DEPOSITS MADE BY CANDIDATES FOR STATE/UNION TERRITORIES LEGISLATURES खाता शीर्ष के अधीन जमा कराई जानी चाहिए।

10) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति

रिटर्निंग आफिसर की संतुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का दस्तावेजी साक्ष्य जमा कराएं ।

11) उपर्युक्त दस्तावेज के अतिरिक्त रिटर्निंग आफिसर जहां कहीं आवश्यक हों, अपनी संतुष्टि हेतु अभ्यर्थी की अर्हता एवं निरर्हता के संबंध में कोई भी दस्तावेज मांग सकता है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 36 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए नाम-निर्देशन दस्तावेजों की विधिमान्यता अथवा अन्यथा की संवीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए रिटर्निंग अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है ।